वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर
(जिला भूमि सुधार प्रशाखा)
<u>सैरात बन्दोवस्ती आम सूचना</u>

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2015–16 के लिए वैशाली जिला अन्तर्गत अप्रैल श्रेणी के राजस्व हाट/घाट सैरात की सुरक्षित जमा की स्वीकृति की प्रत्याशा में बंदोवस्ती दिनांक 31.03.15, 04.04.15 एवं 07.04.15 के अलावे प्रत्येक कार्य दिवस को 11.00 बजे पूर्वाह्न में डाक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में की जायेगी। निर्धारित तिथि को बंदोवस्त नहीं होने की स्थिति में पुनः सैरातों के नाम के सामने अंकित तिथि को बंदोवस्ती की जायेगीः–

क्र0	अंचल का नाम	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा राशि	डाक की तिथि			
				प्रथम द्वितीय	द्वितीय	तृतीय	अतिरिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हाजीपुर	चपुता हाट	324875.00	दिनांक 31.03.15	दिनांक 04.04.15	दिनांक 07.04.15	प्रत्येक कार्य दिवस
2		हरौली बुढ़ी माई मेला	138000.00				
3		नवादा कोरिआही हाट	21806.00				
4	भगवानपुर	सैदपुर बिजली हाट	44850.00				
5		अशकरणपुर हाट	35880.00				
6	लालगंज	किशुनपुर बोरहा हाट	खुली डाक				
7		पुरखौली हाट	48565.00				
8		भटौली भगवान हाट	30857.00				
9		पोझिया हाट	32775.00				
10		एतवारपुर पकड़ी हाट	खुली डाक				
11		दिलावरपुर हाट	22815.00				
12	वैशाली	हौजपुरा हाट	71300.00				
13		रामपुर जुड़ावन हाट	173995.00				
14		अमृतपुर हाट	139725.00				
15		बेलका हाट	69000.00				
16		दाउदनगर हाट	235750.00				
17		कचहरी हाट	61516.00				
18		चकअल्लहदाद हाट	39100.00				
19	पटेढ़ी बेलसर	बेलसर हाट	212750.00				
20		साईन हाट	.57500.00				
21		जारंग रामपुर हाट	128225.00				
22	बिदुपुर	मंसुरपुर चकसिकन्दर हाट	149500.00				
23	राघोपुर	जेढुली घाट (रूस्तमपुर से कच्ची दरगाह)	239200.00				
24	गोरौल	सोन्धोदुल्लह हाट	103500.00				
25		धाने गोरौल हाट	82800.00				
26		इनायत नगर भटौलिया हाट	215050.00				
27	चेहराकलां	हरपुर अरड़ा हाट	59340.00				
28		खांजेचाँद छपड़ा हाट	74750.00				
29		सेहान हाट	109250.00				
30		रसुलपुर फतह सुमेरगंज हाट	51750.00				
31		चकहनीफ दुल्लहपुर हाट	164450.00				
32		छौरही हाट	51750.00				
33	पातेपुर	रामनवमी मेला, पातेपुर	खुली डाक				
34		शहवाजपुर पुरैना हाट	138575.00				
35		पोखर भिण्डा हाट, बहुआरा	80201.00				
36		सिमरवाड़ा हाट पश्चिमी	29900.00				
37		बरडिहा तुर्की हाट	56350.00				
38		पातेपुर हाट, पातेपुर	201825.00				
40		डढुआ हाट	103500.00				
41		बहादुर चिकनौटा हाट	169050.00				
42		अलीनगर लेवढ़न हाट	28750.00				
43		नौवा चक हाट	23453.00				
44	महुआ	बहोरी हाट	खुली डाक				

45	राजापाकर	रामपुर रत्नाकर सड़सई पोखर भिण्डा पर स्थित खजुर पेड़	28750.00	दिनांक 31.03.15	दिनांक 04.04.15	दिनांक 07.04.15	प्रत्येक कार्य दिवस
46		शनिचर हाट	23000.00				
47		फरिदपुर हाट	22182.00				
48	जन्दाहा	जसपरहा हाट	खुली डाक				
49		महिसौर हाट	117875.00				
50		चाँद सराय हाट	244950.00				
51		रसलपुर हाट	61525.00				
52	देसरी	देसरी हाट	323955.00				
53	सहदेई बुजुर्ग	अस्सी आम फल, सुल्तानपुर	खुली डाक				

बन्दोवस्ती की शर्ते निम्नलिखित है :-

1. डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को सुरक्षित जमा राशि 25 प्रतिशत राशि डाक में भाग लेने के पूर्व प्रतिभूति के रूप में जमा करना होगा।
2. थानाध्यक्ष द्वारा जारी आचरण प्रमाण पत्र अद्यतन डाक के पूर्व कार्यालय में जमा करना होगा अन्यथा डाक में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
3. डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को जिला/अनुमण्डल/अंचल/नगर परिषद से बकाया रहित प्रमाण पत्र एवं अंचल अधिकारी से आय प्रमाण–पत्र प्राप्त कर कार्यालय में जमा करना होगा।
4. किसी भी हाट/घाट लेसी या संकलन अभिकर्त्ता के पास राशि बकाया रहने पर उन्हें डाक में भाग लेने नहीं दिया जायेगा। साथ ही उनके निकट भाई, भतीजा, पुत्र को भी डाक में भाग लेने नहीं दिया जायेगा। उपरोक्त राजस्व हाटों की बंदोवस्ती वत्तर्मान में स्थित राजस्व हाट की जितनी जमीन है जैसी है उसी स्थिति के लिए की जायेगी और ग्राउण्ड रेन्ट की वसूली उतनी जगह के अंदर ही की जायेगी।
5. हाट/घाट की जमीन को किसी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त रखने तथा हाट साफ–सफाई एवं पानी की सारी व्यवस्था हाट लेसी को ही अपने व्यय पर करना होगा और हाट में किसी राजनीति सभा नहीं की जायेगी।
6. सैरात की जमीन पर किसी प्रकार के स्थायी संरचना का निर्माण नहीं किया जायेगा। इसे सुनिश्चित करना लेसी की जिम्मेवारी होगी।
7. हाट ग्राउण्ड रेन्ट की वसूली पूर्व निर्धारित दर पर ही करनी होगी तथा प्रत्येक वसूली स्वयं द्वारा छपाई गयी बट्टी रसीद उन्हें निर्गत करनी होगी जिसका व्यय वे स्वयं वहन करेंगे। ग्राउण्ड रेन्ट बोर्ड तालिका या अन्य सूचना चापाकल, हाई ग्रेड वृक्षों की सुरक्षा हाट लेसी को ही करनी होगी।
8. बाढ़ सुखा एवं अन्य प्राकृतिक विपदाओं पर हाट नहीं लगने पर बंदोवस्ती की राशि में किसी प्रकार का छूट अनुमान्य नहीं होगा।
9. किसी भी हालत में किसी भी सम्प्रदाय द्वारा राजस्व हाट में अस्थाई/स्थाई कोई भी धार्मिक या मजहबी निर्माण नहीं होने दिया जायेगा। इसकी जवाबदेही हाट ठेकेदार/बंदोवस्तदार की होगी।
10. संक्रामक रोग या महामारी की स्थिति में हाट लेसी की यह विशेष जवाबदेही होगी कि वे हाट में सड़ी गली वस्तुओं की खरीद–बिक्री नहीं होने दे। साफ–सफाई की विशेष व्यवस्था करेंगे। इस क्रम में कोई क्षतिपूर्ति दे नहीं होगा।
11. घाट लेसी को 24 घण्टे दो बड़ी नावों को घाटों पर लगानी होगी तथा निर्धारित शुल्क से अधिक की वसूली नहीं करनी होगी।
12. घाट लेसी को डका में भाग लेने के समय उनके पास उपलब्ध नाव की क्षमता से संबंधित प्रमाण–पत्र संबंधित अंचलाधिकारी से प्राप्त कर देनी होगी।
13. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये बंदोवस्ती अस्वीकृत करने अथवा हाट की नीलामी को निरस्त करने अथवा विभागीय प्रबंध करने का पूर्ण अधिकार होगा।
14. पूर्व हाट ठेकेदार बंदोवस्तदार को डाक के पूर्व कार्यालय में पूर्व हाट बाजार में आम व्यक्तियों के साथ उनका आचरण/कार्यकलाप संबंधी प्रमाण–पत्र संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/थानाध्यक्ष से प्राप्त कर जमा करना होगा।
15. डाक समाप्ति के पश्चात सफल डाक वक्ता को नियमानुसार उच्चतम डाक की राशि एवं मुद्रांक शुल्क निबंधन शुल्क डाक समाप्ति के तुरंत बाद जमा करना होगा अन्यथा अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।

समाहर्त्ता,
वैशाली।